राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

268

क्रमांकः– एफ2(3)लागत/1017/1016 दिनांक : 2/11/2015

–: कार्यालय आदेश :–

मण्डल द्वारा स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत आवासों/फ्लेटों की पंजीकरण पुस्तिका में अनुमानित लागत को दर्शाया जाता है, साथ ही पुस्तिका में अनुमानित लागत में वास्तविक कार्य निष्पादन के अनुसार लगभग 10% तक वृद्धि होने की संभावनाओं को भी दर्शाया जाता है। यदि किन्ही अपरिहार्य कारणो, निविदाओं में प्राप्त अधिक दर, बाजार मूल्यों में बढ़ोतरी आदि की वजह से अनुमानित लागत में 10% से अधिक की वृद्धि हो जाती है तो ऐसी स्थिति में आरक्षण पत्र / संशोधित आरक्षण पत्र में मांगी गयी राशि जमा नही कराने पर आवंटी की जमा राशि में से पंजीकरण राशि की 20 प्रतिशत कटौती कर बिना ब्याज लौटाये जाने का प्रावधान है।

संचालक मण्डल की बैठक संख्या 227 दिनांक 28.9.2015 के बिन्दु संख्या 05 में लिये गये निर्णयानुसार आवासो / फ्लेटों की पंजीकरण पुस्तिका में दर्शाई गई अनुमानित लागत एवं वास्तविक लागत में 10% से अधिक वृद्धि होने पर यदि आवेदक राशि जमा कराने पर सहमत नहीं है तथा मांग राशि जमा कराने की अन्तिम तिथि से पूर्व अपनी जमा राशि वापिस लेने का आवेदन करता है, तो बिना किसी कटौती के मय 06% वार्षिक ब्याज सहित उसकी जमा राशि नियमानुसार लौटाये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

अतः भविष्य में स्ववित्त पोषित योजना हेतु प्रकाशित होने वाली पंजीकरण पुस्तिका में आवास की लागत में 10% से अधिक वृद्धि होने की स्थिति में मांग राशि जमा कराने की अन्तिम तिथि से पूर्व आवेदक द्वारा अपनी जमा राशि लौटाने हेतु आवेदन करने पर उसकी जमा राशि मय 06% वार्षिक ब्याज सहित नियमानुसार लौटाने का उल्लेख किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

(आवासन आयुक्त)

क्रमांकः– एफ2(3)लागत/1017/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
2-- मुख्य अभियन्ता/सचिव, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
3– अति॰मु॰ अभियन्ता, ..., रा॰आ॰म॰, ...।
4– उप आवासन आयुक्त, वृत्त– ...., रा॰आ॰म॰, ...।
5– संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
6-- आवासीय अभियन्ता, खण्ड-- ...., रा॰आ॰म॰, ...।
7– लेखाधिकारी वृत्त– ...., रा॰आ॰म॰, ...।
8– सम्बन्धित पत्रावली।
9-- रक्षित पत्रावली।

(वित्तीय सलाहकार)